आलमपुर विस्फोट के बाद प्रशासन सख्त

सीवान में चार पटाखा दुकानें व गोदाम सील



सीवान। जामो थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में हुए भीषण पटाखा विस्फोट के बाद जिला प्रशासन ने अवैध पटाखा कारोबार और असुरक्षित भंडारण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। घटना में हुए जान-माल के नुकसान को गंभीरता से लेते हुए शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी आशुतोष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के घनी आबादी वाले तेलहटा बाजार और नया बाजार स्थित पटाखा दुकानों की सघन जांच की गई। जांच के क्रम में चार पटाखा दुकानों और उनके गोदामों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। आलमपुर विस्फोट के बाद प्रशासन ने पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री में सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखों का असुरक्षित भंडारण लोगों की जान-माल के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसी को देखते हुए दुकानों और गोदामों की जांच की जा रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई से पटाखा कारोबारियों में हड़कंप मचा है। अधिकारियों का उद्देश्य अवैध कारोबार पर रोक लगाने के साथ ही संभावित हादसों को रोकना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अवैध पटाखा भंडारण में पांच दुकानदारों पर प्राथमिकी

कटेया। कटेया थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपावली एवं छठ पर्व को देखते हुए कटेया बाजार में अवैध रूप से पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।शनिवार को हथुआ एसडीओ एवं एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने बाजार की पांच दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान लाखों रुपये मूल्य के पटाखे जब्त किए गए। जांच में किसी भी दुकानदार के पास पटाखों की बिक्री का वैध लाइसेंस नहीं मिला। इस मामले में कटेया अंचल राजस्व अधिकारी तारकेश्वर पांडेय के आवेदन के आधार पर कटेया निवासी मेराज मोहम्मद, सद्दाम हुसैन, विक्की वर्णवाल, किशन कुमार एवं तुन्ना मियां के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से बाजार में अवैध रूप से पटाखों का कारोबार करने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है।

इस संबंध में थानाध्यक्ष अवधेश कुमार ने का बताया कि दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अवैध रूप से पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह कार्रवाई की गई है।

सासामुसा में तीन पटाखा दुकानों की जांच, लाइसेंस मिले वैध

कुचायकोट। कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और भंडारण में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने जांच अभियान तेज कर दिया है।इसी क्रम में रविवार को अंचल पदाधिकारी मनोरंजन कुमार शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने सासामुसा बाजार स्थित तीन पटाखा दुकानों की जांच की। इस दौरान तीनों दुकानों के लाइसेंस वैध पाए गए।साथ ही पटाखों का भंडारण भी निर्धारित सीमा के भीतर मिला। जांच के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को पटाखों की सुरक्षित बिक्री और भंडारण से संबंधित नियमों की जानकारी दी।अंचल पदाधिकारी मनोरंजन कुमार शुक्ला ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना वैध लाइसेंस या आवश्यक अनुमति के पटाखों का निर्माण, बिक्री और भंडारण नहीं किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि पटाखा दुकान संचालित करने के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करना अनिवार्य है।त्योहार के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए दुकानदारों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। अधिकारियों ने आम लोगों से भी सावधानीपूर्वक पटाखे जलाने, खतरनाक पटाखों के इस्तेमाल से बचने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

गंगवा और जलालपुर में पागल बंदर का बढ़ता जा रहा आतंक, तीन व्यक्ति घायल

सिधवलिया। सिधवलिया थाना क्षेत्र के गंगवा और जलालपुर गांव में एक पागल बंदर के आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं।यहां उक्त पागल बंदर का आतंक बढ़ता जा रहा है। चार दिन पूर्व ही बंदर ने एक मासूम को बुरी तरह काटकर घायल कर दिया था।वहीं, शुक्रवार को फिर इस बंदर ने बरौली थाना क्षेत्र के बलहा गांव निवासी सुनीता देवी को काटकर बुरी तरह घायल कर दिया और शनिवार को गंगवा के श्रवण महतो और बीरेंद्र सिंह पर पागल बंदर ने हमला कर दिया। वहीं, उक्त पागल बंदर ने जलालपुर के प्रेम बहादुर शर्मा पर भी हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया।घटना के बाद परिजनों ने तीनों घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए सिधवलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया। दोनों गांवों में दहशत का माहौल है।ग्रामीणों ने वन विभाग से पागल बंदर को पकड़ने की मांग की है।

एंट्री माफिया ने एमवीआई को फसाने की रची साजिश

गोपालगंज। जिला परिवहन कार्यालय के मोटरयान निरीक्षक आनंद कुमार पर एक समाचार चैनल पर चल रही नियोजित खबर के बाद लगाए गए घूसखोरी के आरोपों की जब हिंदी दैनिक आज ने पड़ताल की तो हकीकत कुछ और ही निकली।

फैजान अहमद नामक व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए एक शिकायती पत्र के आधार पर एक चैनल पर खबर चलाई गई थी कि पंजीकरण और अनुज्ञप्ति के नाम पर अवैध वसूली की जाती है और श्रीकांत नामक दलाल के जरिए रोज दो लाख रुपये कमाए जाते हैं।

हिंदी दैनिक आज के ब्यूरो चीफ गोपालगंज द्वारा एमवीआई का पक्ष जाना गया तो सामने आया सच- जब इस संबंध में हिंदी दैनिक आज के ब्यूरो चीफ गोपालगंज द्वारा मोटरयान निरीक्षक आनंद कुमार का पक्ष जाना गया तो उन्होंने तथ्यों के साथ पूरे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, *एमवीआई ने बताया।

एंट्री माफिया की साजिश 'मेरे द्वारा ओवरलोड और बिना कागजात वाली गाड़ियों पर लगातार भारी चालान किया गया है। इसी से बौखलाकर एंट्री माफिया ने बदले की भावना से मेरे खिलाफ यह झूठा और मनगढ़ंत आवेदन एसपी को दिया है।' दे चुके हैं स्पष्टीकरण* मोटरयान निरीक्षक गोपालगंज द्वारा पत्रांक-37/दिनांक- 13/10/26 के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज को अपना स्पष्टीकरण दे दिया गया है। यह स्पष्टीकरण जिला परिवहन पदाधिकारी के ज्ञापांक -1494 दिनांक - 10.10.2026 के आलोक में दिया गया है।

सबसे बड़े आरोप पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा श्रीकांत कोई दलाल नहीं है, वह मेरा ड्राइवर है। उसे दलाल बताकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

जांच में यह भी सामने आया है कि परिवहन विभाग के सभी कार्य अब पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी हैं। बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के पंजीकरण संभव ही नहीं है। ऐसे में रोज दो लाख की वसूली का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और हास्यास्पद लगता है। सूत्रों का कहना है कि जब से एसपी विनय तिवारी और परिवहन विभाग ने एंट्री माफियाओं पर नकेल कसी है, तब से ऐसे माफिया अधिकारियों को बदनाम करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। प्रथम दृष्टया यह मामला चालान से क्षुब्ध माफिया तत्वों द्वारा एक ईमानदार अधिकारी की छवि धूमिल करने का प्रयास प्रतीत होता है।

थावे जंक्शन पर अंग्रेजी शराब के साथ दो महिला गिरफ्तार

थावे। रेल पुलिस और आरपीएफ ने संयुक्त रुप से प्लेटफॉर्म जांच अभियान के दौरान अंग्रेजी शराब के साथ दो महिला को गिरफ्तार कर लिया।रेल थानाध्यक्ष अमृता कुमारी ने बताया कि रेल पुलिस और आरपीएफ द्वारा प्लेटफॉर्म की जांच की जा रही थी। उसी दौरान प्लेटफॉर्म संख्या एक पर बैठी दो महिला दिखाई दी।शक के आधार पर दोनों महिलाओ की बैग की तलासी लेने पर कुल 15.48 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मौके पर ही दोनों महिलाओ को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार महिलाए पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला के चकिया थाना के कजराहा गांव के सोनम देवी और गुंजा देवी बताई जाती है। पूछताछ के बाद गिरफ्तार दोनों महिलाओ के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया। मौके पर आरपीएफ एसआई हिमांशु मौर्या, संतोष गुप्ता, शेषमणि आदि रेल पुलिस व आरपीएफ जवान मौजूद थे।

डीएफसी सारण और देवरिया चौधरी इलेवन के बीच रोमांचक फुटबॉल



सिसवन (सीवान)। प्रखंड के निरखापुर गांव स्थित शहीद भगत सिंह खेल मैदान में रविवार को भव्य फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। मुकाबले का उद्घाटन स्थानीय मुखिया रविन्द्र साह ने फुटबॉल पर किक मारकर किया। मैच में डीएफसी सारण बिहार और देवरिया चौधरी इलेवन उत्तर प्रदेश की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला।

दोनों राज्यों की टीमों के खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार खेल का प्रदर्शन किया। मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मैदान में मौजूद सैकड़ों दर्शकों ने तालियां बजाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।उद्घाटन के अवसर पर मुखिया रविन्द्र साह ने कहा कि खेल से युवाओं में अनुशासन, एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलता है। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने की अपील की।

मैच देखने के लिए आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह दिखा। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए मुखिया और आयोजन समिति की सराहना की।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी 'मन की बात' की139वीं कड़ी

थावे। थावे प्रखंड के एकडेरवा बूथ संख्या 337 पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 139वीं कड़ी सुनी गई इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में साझा किये। विचारों को सुना। कार्यक्रम में रेडियो के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता, जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और जनभागीदारी जैसे विषयों पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाना, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से स्थानीय स्तर पर रोजगार, आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।मौके पर विस संयोजक भरत सिंह, सत्येंद्र सिंह, गोरख शर्मा, विक्रमा कुंवर, यश प्रताप सिंह, रोहित सिंह, राजू साह, बैजनाथ सिंह स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-टेंडरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए मण्डल रेल प्रबंधक (विद्युत/सामान्य), पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाइन (ई-टेंडरिंग) के माध्यम से "खुली" निविदाएं आमंत्रित करते हैं:-

क्र. सं.: 1. निविदा सूचना संख्याः ई-निविदा-एल-40-26-27, कार्य का नाम : माघ मेला-2027 के दौरान आपातकालीन बिजली आपूर्ति बैकअप के लिए प्रयागराज रामबाग एवं झूंसी स्टेशनों में डीजी सेट किराए पर लेना. अनुमानित लागत : रु. 11,79,360.00, अग्रधन राशि : रु. 23,600.00, कार्य समापन का समय : 45 दिन, निविदा समापन की तिथि एवं समय : 17.11.2026 14:30 बजे, निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 17.11.2026 14:30 बजे। क्र. सं. : 2. निविदा सूचना संख्या : ई-निविदा-एल-41-26-27, कार्य का नाम : माघ मेला 2027 में प्रयागराज रामबाग एवं झूंसी स्टेशनों में किराए के आधार पर प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान, अनुमानित लागत : रु. 18,98,710.00, अग्रधन राशि : रु. 38,000.00, कार्य समापन का समय : 55 दिन, निविदा समापन की तिथि एवं समय : 17.11.2026 14:30 बजे, निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 17.11.2026 14:30 बजे। क्र. सं. : 3. निविदा सूचना संख्या : ई-निविदा-एल-42-26-27, कार्य का नाम : प्रयागराज रामबाग एवं झूंसी स्टेशनों में माघ मेला 2027 से संबंधित विद्युत कार्य, अनुमानित लागत : रु. 18,52,989.24, अग्रधन राशि : रु. 37,100.00, कार्य समापन का समय : 30 दिन, निविदा समापन की तिथि एवं समय : 17.11.2026 14:30 बजे, निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 17.11.2026 14:30 बजे।

उपरोक्त ई-निविदा कार्यों के पूर्ण विवरण एवं निविदाओं में प्रतिभाग करने हेतु भारतीय रेल की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जायें।

वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजीनियर/सामान्य मुआवि/विद्युत-239 पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी

ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें

होटल संचालक से ग्रेवी और मिर्ची मांगने पर मारपीट, संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी

थावे। थावे थाना क्षेत्र अतर्गत संचालक से ग्रेवी और मिर्ची मागने पर एक युवक को मारपीट कर घायल कर दो हजार रूपये छीन कर मोबाइल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया।यह घटना 21अक्टूबर की बताई जा रही है। जिसको लेकर सिवान जिला के मुफ्फसिल थाना के जियाय गांव के उदय कुमार राम ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है की मै अपने भतीजा आर्यन कुमार और दो दोस्त अंकुश कुमार और श्याम कुमार के साथ बेदुटोला, थावे ससुराल आया था। मै अपने भतीजा को खाना खिलाने के लिए रात को 11 बजे दुर्गामंदिर चौराहे पर प्रमोद लाइन होटल में गया। हमने खाना खाने के लिए आर्डर दिया। खाना खाते समय मेरा भतीजा ग्रेवी और मिर्ची माँगा। होटल संचालक द्वारा ग्रेवी और मिर्ची नहीं देने पर हमने आपत्ति जताई। इसी दौरान होटल संचालक के पिता एवं अन्य लोगों द्वारा मुझे लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर पॉकेट से दो हजार रूपये छीन कर मोबाइल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मेरा प्राथमिक इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थावे में हुआ। उसके बाद से चिकित्स्कों ने बेहतर इलाज के मॉडल अस्पताल रेफर कर दिया। जिसको लेकर उदय कुमार राम ने थाना में होटल संचालक के पिता सहित अन्य लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल कर रही है

न्यायालय में,
श्रीमान सब जज 2, हथुआ ।
जिला गोपालगंज ।
विविध वाद सं. 08/2026
शान्ति देवी वो. आवेदकगण
बनाम
पारस पंडित वो. विपक्षीगण

नोटिस बनाम : (1) अजय मिश्र वल्द ब्रह्मा मिश्र (2) आमोद मिश्र पिता ब्रह्मा मिश्र (3). धर्मेन्द्र मिश्र पिता ब्रह्मा मिश्र (4) रीना कुंवर जौजे उपेन्द्र मिश्र, सभी साकिन हरखौली, थाना वो पोस्ट मीरगंज, जिला गोपालगंज............. विपक्षीगण

यूं बजरिये सम्मन एवं रजिस्ट्री कभर तामिला के बावजूद आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है।

अत: इस प्रकाशन के माध्यम से आपको आगाह किया जाता है कि आप दिनांक 4.11.2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाद में उचित पैरवी करे अन्यथा आपके विरुद्ध आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय काररवाई की जाएगी। इसे सख्त ताकीद जाने।

आज तारीख : 12.10.26

सब जज - 2, हथुआ
जिला गोपालगंज ।

9/484/26

पंचायत विकास शिविर में मिले पेंशन के 79 आवेदन, निष्पादन के लिए भेजे गये

कुचायकोट। कुचायकोट प्रखंड की सभी 31 पंचायतों में रविवार को आयोजित पंचायत विकास शिविरों में ग्रामीणों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित 79 आवेदन जमा किए।इनमें वृद्धावस्था पेंशन के सर्वाधिक 48, विधवा पेंशन के 18 और दिव्यांगजन पेंशन के 13 आवेदन शामिल हैं।शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादित करने के लिए संबंधित विभाग को अग्रसारित कर दिया गया। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी आदित्य प्रकाश ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में प्रखंड की सभी पंचायतों के पंचायत भवनों अथवा पंचायत सरकार भवनों में शिविर



आयोजित किए गए इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि पंचायत विकास शिविर के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन जमा करने की सुविधा दी जा रही है, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। प्रशासन का प्रयास है कि पात्र लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

हत्या के प्रयास मामले में दो नामजद अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप

विजयीपुर। विजयीपुर थाना क्षेत्र में मारपीट एवं हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो नामजद प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान तिलरवा गांव निवासी धुरवासा यादव, पिता इन्द्रासन यादव तथा सचिन यादव, पिता धुरवासा यादव के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ विजयीपुर थाना में मामला दर्ज था। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 21 अक्टूबर 2026 को वादी और उनके परिजनों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इस घटना में कई लोग घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए सदर अस्पताल, गोपालगंज में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी। इस संबंध में विजयीपुर थाना कांड संख्या 330/26, दिनांक 22 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 115(2), 109(1), 352, 351 (3) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले में नामजद दोनों अभियुक्तों की पहचान सुनिश्चित करते हुए उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चल रहा विशेष अभियान, गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में अपराध नियंत्रण, विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा विभिन्न कांडों में वांछित एवं फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत विजयीपुर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद दोनों अभियुक्तों से विधिवत पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार, आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में मारपीट एवं हत्या के प्रयास जैसे मामलों में पुलिस की सक्रियता को लेकर चर्चा है।

घर से 200 सुतली बम व विस्फोटक पदार्थ बरामद, एक गिरफ्तार

कटेया। कटेया थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपावली एवं छठ पर्व को देखते हुए अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ पुलिस ने शनिवार को कटेया बाजार में छापेमारी अभियान चलाया।हथुआ एसडीओ एवं एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने कटेया नगर के महुई माई मंदिर के पीछे एक घर में छापेमारी कर 200 सुतली बम और करीब 7.3 किलोग्राम रासायनिक विस्फोटक जैसा पदार्थ बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त छापेमारी टीम कटेया बाजार में अवैध रूप से पटाखों के भंडारण एवं बिक्री की जांच कर रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि महुई माई मंदिर के पीछे स्थित एक घर में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण और निर्माण किया जा रहा है।सूचना का सत्यापन करने के बाद टीम ने उक्त घर पर छापेमारी की।पुलिस को देखते ही वहां मौजूद एक व्यक्ति भागने लगा। जिसे पुलिस बल के सहयोग से घेरा में लिया गया। इसके बाद घर की तलाशी ली गई, जिसमें 200 पीस सुतली बम, 5.8 किलोग्राम उजला तथा 1.5 किलोग्राम काला रासायनिक विस्फोटक जैसा पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस ने सभी बरामद सामग्रियों को जब्त कर लिया और पकड़े गए व्यक्ति को थाने ले आई। गिरफ्तार आरोपित की पहचान कटेया नगर निवासी मेराज मोहम्मद के रूप में की गई है। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

न्यायालय में,
सब जज -16, गोपालगंज
बँटवारा वाद संख्या 56/2026
मोहम्मद आलम बगैरह .... वाद

बनाम

1. एजाज अहमद, उम्र-25 वर्ष, वल्द सेराजुल हक मरहूम 2. गुड़िया शहनाज, उम्र-35 वर्ष, विन्त सेराजुल हक मरहूम 3. शाहजहाँ खातून, उम्र- 30 वर्ष, विन्त सेराजुल हक मरहूम 4. नाजिया परवीन, उम्र-26 वर्ष, विन्त मंजूर आलम 5. नौशाद आलम, उम्र-23 वर्ष, वल्द मंजूर आलम 6. अरमान आलम, उम्र-22 वर्ष, वल्द मंजूर आलम 7. रजीया परवीन, उम्र-20 वर्ष, विन्त मंजूर आलम 8. हबीबुन नेशा, उम्र-80 वर्ष, विन्त यासीन मियाँ मरहूम 9. कमरुद्दीन आलम, उम्र-60 वर्ष, वल्द जैनुल आबेदीन 10. सलाहुद्दीन शेख, उम्र- 55 वर्ष, वल्द जैनुल आबेदीन 11. अलाउद्दीन, उम्र-52 वर्ष, वल्द जैनुल आबेदीन 12. कैशर जहाँ, उम्र-49 वर्ष, विन्त जैनूल आबेदीन 13. मैराजुद्दीन अहमद, उम्र-60 वर्ष, वल्द ओशो मियाँ 14. एकबाल हुसैन, उम्र- 48 वर्ष, वल्द ओशो मियाँ 15. तालबुन नेशा, उम्र-48 वर्ष, वल्द ओशो मियाँ
16. नूरऐसा खातून, उम्र-50 वर्ष, वल्द ओशो मियाँ सभी साकिनान-सरेया अखतेयार, थाना-मांझा, जिला-गोपालगंज

मुद्दालहम फरीक----1

17. नबीअहमद, उम्र-60 वर्ष, वल्द जमालुद्दीन मरहूम 18. मोहम्मद इब्राहिम, उम्र- 48 वर्ष, वल्द जमालुद्दीन 19. अरशद आलम, उम्र- 21 वर्ष, वल्द चांद अली मरहूम सभी साकिनान-सरेया अखूतेयार, थाना-मांझा, जिला-गोपालगंज

मुद्दालहम फरीक----2

चूँ बजरिये इस प्रकाशन के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है कि वादीगण ने उपरोक्त वाद आप लोगों के खिलाफ दाखिल किया है, जिसमें आप लोगों के खिलाफ सम्मन व रजिस्टर्ड डाक भेजा गया है, लेकिन आप लोग इसके बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

अत: प्रकाशन के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग न्यायालय में उपस्थित होकर मुकदमे की पैरवी स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से करें, अन्यथा आप लोगों की अनुपस्थिति में वादी को एकपक्षीय सुनवाई कर दी जायेगी।

वाद की सुनवाई दिनांक 23.11.2026 को है। इसे सख्त ताकीद जानें।

दिनांक 06.10.2026 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत की मुहर से निर्गत।

सब जज -16
गोपालगंज ।

9/484/26

पुराने भूमि विवाद में पिता-पुत्र से मारपीट, सात के विरुद्ध प्राथमिकी

कटेया। कटेया थाना क्षेत्र के सेमरिया टोला बरवा में पुराने जमीनी विवाद को लेकर रास्ते में घेरकर पिता-पुत्र के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित विजय यादव के आवेदन पर सात लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार विजय यादव ने आरोप लगाया है कि 15 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे वह रास्ते से जा रहे थे। इसी दौरान सेमरिया टोला झामटोला निवासी राकेश यादव, भानु यादव समेत सात लोगों ने उन्हें घेर लिया।पुराने जमीन विवाद को लेकर आरोपितों के साथ कहासुनी होने लगी। इसी क्रम में आरोपितों ने उनके पिता सुरेश यादव पर रॉड से हमला कर दिया।साथ ही विजय यादव के गले से सोने की चेन छीन लिया गया। घटना के बाद विजय यादव अपने घायल पिता को इलाज के लिए पंचदेवरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। पुलिस पीड़ित के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है।

सिधवलिया बाजार में तीन दिवसीय दुर्गा पूजा मेला संपन्न, मूर्ति विसर्जन आज

सिधवलिया। सिधवलिया प्रखंड मुख्यालय के सिधवलिया बाजार में दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर लगने वाले मेले का आज हो गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीन दिवसीय मेले का आयोजन 23, 24 एवं 25 अक्टूबर को किया गया है। मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ झूले, खेल-तमाशे, मिठाई, श्रृंगार सहित कई तरह की दुकानें लगी हैं। मेले में घूमने वालों की अपार भीड़ उमड़ रही। बच्चों से लेकर बड़ों तक में मेले को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा था।

आज दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित मूर्तियों का विसर्जन आज किया जाएगा।

न्यायालय में,
श्रीमान् सबजज साहब-7
मोकाम वो जिला-गोपालगंज
बंटवारा वाद सं.-341 सन् 2024
श्री भगवान गिरी....................मुदई
बनाम
राजनारायण गिरी वो.......मुदालहम
नोटिस बनाम:-

1) राजनारायण गिरी उम्र 40 वर्ष वल्द स्व. विश्वनाथ गिरी 2) संध्या देवी, उम्र 36 वर्ष, पति-राजनारायण गिरी 3) सरस्वती देवी उम्र 30 वर्ष पिता स्व. रोशन गिरी, सभी साकिनान अहीरवलिया, पोस्ट-धार्मपरसा, परगना-सिपाह, थाना-बांझागढ़, जिला-गोपालगंज 4) छठू गिरी उम्र 40 वर्ष वल्द स्व. राजबालम गिरी 5) रामअयोध्या गिरी उम्र 50 वर्ष, वल्द स्व. राजबलम गिरी, दोनों साकिनान अलालपुर लडौली, पोस्ट-विशुनपुरा बाजारा, थाना-सिधवलिया, जिला- गोपालगंज..................
...........मुदालहम

चूं, उपरोक्त मुदई ने आपके खिलाफ उक्त वाद दाखिल किया है, जिसमें आपके ऊपर नोटिस वो रजिस्टर्ड कभर के द्वारा सम्मन की पैरवी करने के बावजूद आप मेरे न्यायालय में उपस्थितनहीं हुए हैं।

अत: वजरिये इस प्रकाशन से आपलोगों को आगाह किया जाता है कि आप दिनांक 27.10.26 को मेरे न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर उचित पैरवी करें, अन्यथा आपके खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

इसे सख्त ताकिद जानें।

जारी दिनांक 13.10.26

श्रीमान् सबजज साहब-7
मोकाम वो जिला-गोपालगंज

9/614/26

ब-

अदालत अडिशनल जिला सब जज-3
मो. छपरा (सारण)
सिविल मिसलेनियस अपील
वाद सं.-07/2026
पंकज मिश्रा..........................अपीलांट
बनाम
संजीव कुमार पाण्डेय वगैरह............
.......................................रेस्पॉण्डेन्ट
नोटिस बनाम:-

(1) संजीव कुमार पाण्डेय पिता स्व. जयनंदन पाण्डेय (2) रेणु देवी पुत्री स्व. प्रेमचंद मिश्रा (3) रानी देवी पुत्री स्व. प्रेमचंद मिश्रा (4) निर्मला देवी पुत्री स्व. प्रेमचंद मिश्रा (5) यश मिश्रा पुत्र स्व. जयंत रंजन उर्फ रंजन मिश्रा (6) मुसमात राखी चौबे पति स्व. जयंत रंजन उर्फ रंजन मिश्रा (7) सतीश चन्द्र पिता स्व. रामदेव मिश्रा साकिन ग्राम-राईपटी, डाकघर-दिघवारा, थाना-दिघवारा, जिला-सारण-841207.
....रेस्पॉण्डेन्ट

चूं, मुदालहम/अपीलांट ने उपरोक्त वाद आपलोगों के खिलाफ न्यायालय में दायर किये हैं जिसमें मेरे न्यायालय से नजारत वो डाकघर से नोटिस सम्मन निर्गत हुआ है, जो आपलोगों के ऊपर तामिल हुआ है। उसके बाद भी आपलोग मेरे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इस समाचार पत्र के माध्यम से आपलोगों को सूचित किया जाता है कि आपलोग 26.10.26 समय दिन 11 बजे मेरे न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर जो भी उज एतराज करना हो वो करें, वरना आपलोगों के खिलाफ एकपक्षीय सुनवाई प्रारंभ कर दिया जायेगा।

यह नोटिस मेरे कार्यालय से मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से आज दिनांक 18.09.2026 को निर्गत किया जाता है।

अडिशनल जिला जज-03
छपरा (सारण)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय :- वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना

अरण्य भवन, द्वितीय तल, शहीद पीर अली खाँ मार्ग (राईडिंग रोड) पटना- 800014

आम सूचना

श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, वनपाल, बाढ़ एवं अतिरिक्त प्रभार मोकामा वन परिसर द्वारा कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही तथा अनाधिकृत रुप से अपने कार्य क्षेत्र एवं मुख्यालय से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने एवं बाढ़ एवं अतिरिक्त प्रभार मोकामा वन परिसर का प्रभार ग्रहण नहीं करने के कारण वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है।

वनपाल द्वारा प्रभार नहीं लेना तथा संतोषजनक जबाब नहीं देने के फलस्वरूप में वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना के पत्रांक-2648 दिनांक-03.08.2026 द्वारा वनपाल श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, को निलंबित करने की अनुशंसा के साथ विभागीय कार्यवाही का प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मुख्य वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के कार्यालय के आदेश संख्या-26 -सह-पठित ज्ञाप संख्या-2620 दिनांक-22.08.2026 द्वारा श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, वनपाल को निलंबित करते हुए पटना वन प्रमंडल, पटना के कार्यालय में मुख्यालय निर्धारित किया गया था तथा इसकी प्रति को श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, वनपाल को हस्तगत कराने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल को निदेशित किया गया है। वनपाल कर्तव्य अवधि में लागातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निलंबित वनपाल के स्थायी पते पर भेजी गयी। India Speed Post Tracking System के अनुसार संबंधित पत्र उनके पता पर दिनांक-05.09.2026 को Delivered दिखाया गया, किन्तु दिनांक-14.09.2026 को उक्त पत्र प्रमंडलीय कार्यालय पटना वन प्रमंडल को Speed Post के माध्यम से वापस आ गया, जिसमें लिखा हुआ है कि "ये आदमी सासाराम रहते हैं।"

मुख्य वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के कार्यालय के आदेश संख्या-31-सह-पठित ज्ञाप संख्या-2969 दिनांक-18.09.2026 तथा द्वारा आदेश संख्या-32 -सह- पठित ज्ञाप संख्या-2970 दिनांक-18.09.2026 द्वारा विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया है। उक्त आदेश की प्रति (साक्ष्य एवं सभी अभिलेख के साथ) को श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, वनपाल को हस्तगत कराने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल को निदेशित किया गया है। प्रमंडल के पत्रांक-3784 दिनांक-12.10.2026 द्वारा सूचना दी गयी है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से निलंबित वनपाल के स्थायी पते पर भेजी गयी। संबंधित पत्र उनके पता पर दिनांक-29.09.2026 को Delivered दिखाया गया, परन्तु दिनांक-03.10.2026 को उक्त पत्र प्रमंडलीय कार्यालय पटना वन प्रमंडल को Speed Post के माध्यम से वापस आ गया।

साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना द्वारा विशेषदूत के माध्यम से भी निलंबित वनपाल के स्थायी पता पर भेजा गया तथा उनके मुख्य द्वार पर पत्र को चिपका दिया गया है तत्पश्चात् प्रमंडलीय कार्यालय पटना द्वारा निलंबित वनपाल को पत्र हस्तगत कराने एवं अपना पक्ष रखने तथा संबंधी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचना प्रकाशित किया गया है।

श्री अरविन्द कुमार सिंहा, निलंबित वनपाल, पिता-स्व० योगेन्द्र कुमार सिन्हा, पता-ग्राम+पोस्ट-गकाई, थाना-काराकट (गोरारी), जिला-रोहतास (सासाराम), पिन कोड-821311 को आम सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको प्रकाशन तिथि से 07 दिनों के अंदर निर्धारित मुख्यालय में उपस्थित होकर वस्तुस्थिति के प्रतिवेदन स्वतःहीय समर्पित करने का अंतिम अवसर दिया जाता है कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई / सेवा समाप्ति का कार्यवाही शुरू किया जाय। निर्धारित अवधि के भीतर उपस्थित न होने अथवा विभागीय कार्यवाही के संचालन में शामिल नहीं होने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है आप स्वेच्छा से सेवा से अनुपस्थित है। इसके पश्चात् विभाग के नियमानुसार एकपक्षीय विधिसम्मत अनुशासनिक कार्रवाई (ex-parte legal and disciplinary action) करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मुख्य वन संरक्षक
पटना अंचल, पटना

PR. No. 014324(Envi. & Forest) 2026-27

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।